रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2018/कार्तिक 18, 1940
No. 798] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1095(अ).—जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथा अपेक्षित कतिपय प्रारूप नियम नामश: पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से साठ दिनों की अवधि में उसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए संख्या सा.का.नि. 35(अ), दिनांक 17 जनवरी, 2018, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे;

और जबकि उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 17 जनवरी, 2018 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और हितधारकों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

और, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) पांचवा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे:-

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, तदस्मिन पश्चात इन्हें अनुसूची-1, में उक्त नियम कहा गया,-

(i) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	उद्योग	मानदंड	मानक		
1	**2**	**3**	**4**		
		मानव-निर्मित तंतु उद्योग के लिए पर्यावरणीय मानक			
"2.	**मानव-निर्मित तंतु**	**क बहिस्राव मानक**			
			संकेन्द्रण इससे अधिक न हो (pH और सोडियम सल्फेट की पुन: प्राप्ति को छोड़कर mg/l में)		
			अंत: स्थलीय ऊपरी तल	**सिंचाई के लिए भूमि**	**समुद्री निस्सरण**
		pH	6.0-8.5	6.0-8.5	6.0-8.5
		सस्पेंडिड ठोस (एसएस)	100	100	100
		बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD-27^{0} C पर तीन दिन)	30	100	100
		जिंक	5	5	15
		टिप्पणी: विस्कोस स्टैपल फाइबर और विस्कोस फिलामेंट यार्न इकाइयों में सोडियम सल्फेट की पुन: प्राप्ति 60% से कम नहीं होगी।			
		ख. बहिस्राव मानक			
				संकेन्द्रण इससे अधिक न हो (मिग्रा./Nm^3)	
		डाइमिथाइल फोर्मामाइड और एक्रीनोलिट्राइल सहित वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (केवल एक्रेलिक फाइबर इकाइयों में लागू)		50	
		टिप्पणी: (क) कार्य संबंधी पर्यावरण में कार्बन डाइसल्फाइड (CS^2) और हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) का संकेन्द्रण व्यष्टिगत रूप से 10 ppm से अधिक नहीं होगा। (ख) चट्टे की ऊंचाई का आकलन इस प्रकार किया जाएगा $H=11Q^{0.41}-3VsDU$, यहां Q-कार्बन डाइसल्फाइड का बहि:स्राव दर kg/hr है; Vs- चट्टे की बहि:र्गमन गति, m/प्रति सेकिंड; D- चट्टे का व्यास, m; U- चट्टे के ऊपरी सतह पर वार्षिक औसत पवन गति m/सेकिंड (ग) 31 दिसम्बर, 1998 के पश्चात् निर्मित नये संयंत्रों के लिए कुल उत्सर्जन का न्यूनतम 80% चट्टे में से गुजरेगा और यदि चट्टे की आकलित ऊंचाई 30 मी. से कम हो तो 30 मीटर की अधिकतम ऊंचाई का प्रावधान किया जाएगा और यदि संयंत्र में एक से अधिक चट्टे विद्यमान हों तो निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा :- (i) सभी चट्टों की अपेक्षित ऊंचाई चट्टों में से किसी भी चट्टे में अधिकतम उत्सर्जन की दर के आधार पर होगी अर्थात् Cs_2 उत्सर्जन करने वाले चट्टे एक समान ऊंचाई के होंगे (अधिकतम उत्सर्जन दर के आधार पर);			

		(ii) चट्टों की संख्या 31 दिसंबर, 1998 को विद्यमान संख्या से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी, तथापि उद्योग द्वारा चट्टों की संख्या घटाई जा सकती है; (iii) दो निकटतम चट्टों के बीच की दूरी बड़े चट्टे की ऊंचाई से कम से कम तीन गुणा मीटरों में होनी चाहिए और यदि दो चट्टों के बीच की दूरी कम है, तो इन दो चट्टों से हो रहे उत्सर्जन को एकल बिंदु स्रोत के रूप में माना जाएगा और चट्टे की ऊंचाई यह मानकर आकलित की जाएगी कि उत्सर्जन एक चट्टे से हो रहे हैं; (iv) उद्योग संयंत्र की परिधि रेखा पर (सीमा रेखा के भीतर) तीन वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र प्रतिष्ठापित करेगा ताकि परिवेशी वायु में सीएस$_2$ और एच$_2$एस के संकेद्रण की निगरानी की जा सके और इन केन्द्रों की अवस्थिति का निर्णय संबद्ध राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करके किया जाएगा; किसी भी स्थिति में सीएस$_2$ और एच$_2$एस के स्तर (24 घंटे की दैनिक औसत) क्रमश 100 $\mu g/m^3$ और 150 $\mu g/m^3$ से अधिक नहीं होने चाहिए।		

(ii) क्र.सं. 60, 62 और 87 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां विलोपित की जाएंगी।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-VI में –

(i) भाग ख में "अपशिष्ट जल उत्पत्ति मानक", क्र.सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	उद्योग	प्रमात्रा
"6	(क) विस्कोस स्टैपल फाइबर (वीएसएफ) संयंत्र	75 एम^3/प्रतिटन फाइबर
	(ख) विस्कोस फिलामेंट यार्न (वीएफवाई) संयंत्र	150 एम^3/प्रतिटन फाइबर
	(ग) नाइलान पोलियस्टर	10 एम^3/प्रतिटन फाइबर
	(घ) एक्रीलिक – (i) गीली (वैट) प्रक्रिया	25 एम^3/प्रतिटन फाइबर
	(ii) शुष्क प्रक्रिया	10 एम^3/प्रतिटन फाइबर"

(ii) भाग घ III "भार/मात्रा पर आधारित मानक" में, बिना सह प्रसंस्करण वाले सीमेंट संयंत्र से संबंधित क्र.सं. 10(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतर्लिखित की जाएगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
"11.	मानव निर्मित तंतु	क उत्सर्जन मानक	
	(क) विस्कोस स्टैपल फाइबर (वीएसएफ) संयंत्र	कार्बन डाइ सल्फाइड	95 किग्रा./प्रतिटन वीएसएफ
		हाइड्रोजन, सल्फाइड	30 किग्रा./प्रतिटन वीएसएफ
	(ख) विस्कोस फिलामेंट यार्न (वीएफवाई) संयंत्र	कार्बन डाइ सल्फाइड	200 किग्रा./प्रतिटन वीएफवाई
		हाइड्रोजन, सल्फाइड	30 किग्रा./प्रतिटन वीएफवाई
	(ग) रेयन पोलियस्टर और नायलान वस्त्र (केवल डुबोने वाली प्रक्रिया वाले संयंत्र)	अमोनिया	0.3 किग्रा./प्रतिटन डिप्ड फैब्रिक"

[फा. सं. क्यू 15017/40/2011-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेंथिलवेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार 28 जून, 2018 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 593(अ) के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2018

G.S.R. 1095(E).—Whereas, certain draft rules, namely the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R. 35(E), dated the 17th January, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the aforesaid notification were made available to the public on the 17th January, 2018;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Fifth Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, therein after referred to as the sad rules, in Schedule-1,-

(i) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards		
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Environmental Standards for Man-Made Fibre Industry				
"2.	**Man-Made Fibre**	**A. Effluent Standards**			
			Concentration not to exceed, (in mg/l except for pH and recovery of Sodium Sulphate)		
			Inland Surface Water	**Land for Irrigation**	**Marine Discharge**
		pH	6.0-8.5	6.0-8.5	6.0-8.5
		Suspended Solids (SS)	100	100	100
		Biochemical Oxygen Demand (BOD - 3 days at 27°C)	30	100	100
		Zinc	5	5	15
		Note: The recovery of Sodium Sulphate shall not be less than 60% in Viscose Staple Fibre and Viscose Filament Yarn units.			
		B. Emission Standards			
			Concentration not to exceed, (in mg/Nm^3)		
		Volatile Organic Compounds including Dimethyl Formamide and Acrylonitrile (applicable for Acrylic fibre units only)	50		

		Note: (a) The concentration of Carbon Disulphide (CS_2) and Hydrogen Sulphide (H_2S) in work environment shall not exceed 10 ppm, individually. (b) The stack height shall be calculated $H = 11 Q^{0.41} - 3 VsDU$, where Q - Emission rate of Carbon Disulphide, kg/hr; Vs - stack exit velocity, m/sec; D - diameter of stack, m; U - Annual average wind speed at top of stack, m/sec. (c) For new plants built after 31st December, 1998, a minimum of 80% of total emission shall pass through stacks and if the calculated stack height is less than 30 metres, a minimum height of 30 metres shall be provided, and in case there are more than one stack existing in the plant, following conditions may be met :- (i) the required height of all stacks shall be based on the maximum emission rate in any of the stacks i.e. the stacks emitting CS_2 emission shall be of same heights (based on the maximum emission rate); (ii) number of stacks shall not be increased as existing on 31st December, 1998, however, the number of stacks may be reduced by the industry; (iii) the distance between two nearest stacks should be at least three times of height of taller stack, in metres and if distance between two stacks is less, emission being emitted through such two stacks shall be considered as a single point source and height of the stacks shall be calculated considering emissions are being emitted through one stack; (iv) the industry shall install three air quality monitoring stations on the periphery (within boundary limits) of plant so as to monitor concentration of CS_2 and H_2S in ambient air and the location of these stations shall be decided in consultation with concerned State Pollution Control Board, however in any case levels of CS_2 and H_2S (24 hours daily average) shall not exceed 100 ug/m^3 and 150ug/m^3 respectively.”;	

(ii) serial numbers 60, 62 and 87 and the entries relating thereto shall be omitted.

3. In the said rules, in Schedule VI, -

(i) in Part B “Wastewater Generation Standards”, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Quantum
“6	(a) Viscose Staple Fibre (VSF) Plant (b) Viscose Filament Yarn (VFY) Plant (c) Nylon Polyester (d) Acrylic- (i) Wet Process (ii) Dry Process	75 m^3/tonne of fibre 150 m^3/tonne of fibre 10 m^3/tonne of fibre 25 m^3/tonne of fibre 10 m^3/tonne of fibre.”;

(ii) in Part D.III. "Load/Mass based Standards", after serial number 10A relating to 'Cement Plant without co-processing' and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards
"11.	Manmade Fibre	A. Emission Standards	
	(a) Viscose Staple Fibre (VSF) Plant	Carbon Disulphide	95 kg/ tonne of VSF
		Hydrogen Sulphide	30 kg/ tonne of VSF
	(b) Viscose Filament Yarn (VFY) Plant	Carbon Disulphide	200 kg/ tonne of VFY
		Hydrogen Sulphide	30 kg/ tonne of VFY
	(c) Rayon, Polyester and Nylon fabric (Dipping process Plant only)	Ammonia	0.3 kg /tonne of dipped Fabric.".

[F. No. Q-15017/40/2011-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and last amended vide notification number G.S.R. 593(E), dated the 28th June, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.11.13 16:40:08 +05'30'